



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014
(PHALGUNA 1, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 20th February, 2014

No. 2—HLA of 2014/3.—The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 2—HLA of 2014

THE HARYANA VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Short title Act, 2014.

Amendment of
section 7 of
Haryana Act 6 of
2003

2. In section 7 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (hereinafter called the principal Act),—

(i) in sub-section (2), the words “to goods sold to the Government or” shall be omitted; and

(ii) clause (b) of sub-section (3) shall be omitted;

Amendment of
section 28 of
Haryana Act 6 of
2003.

3. In sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (2) of section 28 of the principal Act, for the words “five hundred rupees”, the words “one thousand rupees” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st January, 2014.

Repeal and savings.

4. (1) The Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 5 of 2013) and the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 1 of 2014) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinances, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

All goods when sold to the Government which are otherwise taxable at a rate of more than 4% are liable to VAT @ 4% against Form VAT C-3 under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003). This facility to purchase goods at concessional rate of tax of 4% was available to Government under the Central Sales Tax Act, 1956 also. Effective from 1-4-2007, the facility to purchase goods by Government by paying central sales tax @ 4% was withdrawn by the Central Government. Therefore, it is desired to bring all sales made to Government at equal level under both the Haryana Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956. Resultantly the Government departments would have to pay VAT at rates generally applicable to the purchased goods. The VAT rate presently applicable to unclassified goods is 12.5%. In order to give effect to the above decision, as the State Legislature of Haryana was not in session, the Haryana Ordinance No. 5 of 2013 was issued by the Governor of Haryana *vide* Notification No. Leg.34/2013 published on 6th December, 2013.

Further, as per sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (2) section 28 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 a retail sale invoice shall be issued where the sale price of the goods exceeds one hundred rupees or such other amount not exceeding five hundred rupees. Presently, as per sub-rule (1) of rule 54 of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, it is not compulsory to issue a sale invoice in respect of a single transaction of sale made in cash not exceeding three hundred rupees in valuable consideration except when the invoice is demanded by the customer. The State Government decided to raise this limit to **one thousand rupees effective from 1st January, 2014**. In order to give effect to this decision, as the State Legislature of Haryana was not in session, the Haryana Ordinance No. 1 of 2014 was issued by the Governor of Haryana *vide* Notification No. Leg.1/2014 published on 8th January, 2014.

In order to give effect to the above decision it will be necessary to regularize the Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 5 of 2013) and the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 1 of 2014).

Hence this Bill.

KIRAN CHOUDHRY,
Excise and Taxation Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 20th February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 2-एच०एल०ए०

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संशोधन नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

2003 के हरियाणा
अधिनियम 5 की
धारा 7 का संशोधन।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 में,—

(i) उप-धारा (2) में, "सरकार को बेचे गए माल या" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ii) उप-धारा (3) के खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा।

2013 के हरियाणा
अधिनियम 5 की
धारा 28 के
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) में "पांच सौ रुपए", शब्दों के स्थान पर, "एक हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2014 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

निरसन तथा
व्यापार

4. (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5) तथा हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) के अन्तर्गत फार्म ग-3 के विरुद्ध सरकार को बेचे जाने वाली सभी वस्तुएं जिन पर कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक है, पर वैट 4 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। सरकार को 4 प्रतिशत की रियायती दर पर खरीद की यह सुविधा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भी प्राप्त थी। केन्द्रीय सरकार ने 1-4-2007 से सरकार के द्वारा 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर की दर अदा करते हुए वस्तुओं की खरीद पर यह सुविधा वापस ले ली थी। इसलिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, दोनों के अन्तर्गत सरकार को की गई बिक्री पर कर की दर को समान स्तर पर लाया जाना अपेक्षित है। परिणाम स्वरूप सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं की खरीद पर लागू सामान्य दर पर वैट अदा करना पड़ेगा। इस समय अवर्गीकृत वस्तुओं पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत है। राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था तथा उपरोक्त निर्णय को अमल में लाने के लिए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 2013 का हरियाणा अध्यादेश क्रमांक 5 अधिसूचना लैज.34/2013, दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) की धारा 28 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में उप-पैरा (iii) अनुसार खुदरा बिक्री बीजक जब माल की कीमत एक सौ रुपए से अधिक हो, परन्तु पांच सौ रुपए से अधिक न हो पर जारी की जाती है। इस समय हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में नियम 54 के उप-नियम (1) अनुसार ग्राहक या अपंजीकृत व्यवहारी को माल के बेचने 300 रुपए मूल्य तक की वस्तु पर खुदरा बिक्री जारी करना अनिवार्य नहीं है सिवाय ग्राहक बीजक की मांग करें। अब राज्य सरकार ने एक जनवरी, 2014 से यह सीमा बढ़ाकर एक हजार रुपए करने का निर्णय लिया है। राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था तथा उपरोक्त निर्णय को अमल में लाने के लिए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 2014 का हरियाणा अध्यादेश क्रमांक 5 अधिसूचना लैज.1/2014, दिनांक 8 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

उपरोक्त निर्णय को अमल में लाने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश क्रमांक 5) तथा हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2014 का हरियाणा अध्यादेश क्रमांक 1) को नियमित किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक।

किरण चौधरी,

आबकारी व कराधान मन्त्री, हरियाणा।

घण्डीगढ़

दिनांक 20 फरवरी, 2014.

सुमित कुमार,

सचिव।